

आदेश

कार्यालय महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रेवाड़ी ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 710/सी0आई0 दिनांक 14/05/2020 द्वारा अनुरोध किया है कि हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी को दिनांक 15.05.2020 से रेवाड़ी-रोहतक-पंचकुला व रेवाड़ी-नारनौल मार्ग पर सीमित बस सेवा संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। जिसकी पालना में इस आगरा द्वारा दिनांक 15.05.2020 से उपरोक्त मार्गों पर बस सेवा का संचालन किया जाना है, जिसके लिये बस स्टैंड, रेवाड़ी पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिये अनुरोध किया है।

अतः मैं यशेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधीश, रेवाड़ी भारतीय दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 22 (i) व 23 (ii) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस स्टैंड, रेवाड़ी पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए श्री राजेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार, रेवाड़ी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करता हूँ तथा पूर्व में जारी किये गये आदेश क्रमांक 9607-9682/एम0ए0 दिनांक 07.05.2020 द्वारा की गई श्री राजेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार, रेवाड़ी की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति को निरस्त किया जाता है।

उपमण्डलाधीश, रेवाड़ी को ओवरऑल इंचार्ज नियुक्त किया जाता है।



हरता0
जिलाधीश, रेवाड़ी।

पृ० क्रमांक: 10353-10405/विधि

दिनांक: 14.05.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ़।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, चण्डीगढ़।
5. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकुला।
6. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तद्वार विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
7. आयुक्त, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम।
8. पुलिस महानिरीक्षक, साउथ रेंज, रेवाड़ी।
9. जिला सत्र एवं न्यायधीश, रेवाड़ी।

8

10. पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी, को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि ड्यूटी मैरिट को उचित पुलिस बल मय महिला पुलिस उपलब्ध करवाने की कृपा करें।
11. अतिरिक्त उपायुक्त, रेवाड़ी।
12. उप-मण्डलाधीश, रेवाड़ी/बावल/कोसली।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, रेवाड़ी।
14. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, रेवाड़ी।
15. जिला राजस्व अधिकारी, रेवाड़ी।
16. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, रेवाड़ी।
17. जिला लोक संपर्क एवं सूचना अधिकारी,
18. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
19. महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रेवाड़ी।
20. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
21. जिला के सभी थाना प्रबन्धक (पुलिस अधीक्षक के माध्यम द्वारा)।
22. सचिव, नगरपरिषद, रेवाड़ी।
23. सचिव, नगरपालिका, बावल/धारुहेडा।
24. सभी ड्यूटी मैरिट, जिला रेवाड़ी।
25. सचिव, जिला रैडक्रास सोसायटी, रेवाड़ी।
26. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रेवाड़ी।
27. स्टैनोग्राफर, उपायुक्त, रेवाड़ी।
28. स्टैनो, नगराधीश, रेवाड़ी।



Sany
 संजीव कुमार, एच०सी०एस०,
 नगराधीश, रेवाड़ी।
 कृते: उपायुक्त, रेवाड़ी।